

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 1209/2024
अनवान : -

1. विनोद कुमार पुत्र धर्मपाल जाति खाती निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र रामप्रताप जाति खाती निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र धर्मपाल जाति खाती निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
3. प्रकाश पुत्र धर्मपाल जाति खाती निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 17/04/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 186/121 की कुल 1.5427 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 38/38 की कुल 1.1260 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादी के दादा रामप्रताप के नाम दर्ज थी उनकी फौतगदी के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। वाद भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी राजीनामा कर रखा है एवं मुताबिक राजीनामा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 186/121 के प0न0 401/448 मु0न0 51 के किला न0 19 की 0.2321 हैक्ट किला न0 18 की 0.0418 हैक्ट भूमि व किला न0 23 की 0.186 हैक्ट, किला न0 25 की 0.046 हैक्ट, किला न0 25 की 0.010 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.5159 हैक्ट भूमि पर वादी काबिज है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 186/121 के प0न0 401/448 मु0न0 51 के किला न0 20 की 0.2530 हैक्ट, किला न0 19 की 0.0209 हैक्ट, किला न0 24 की 0.134 हैक्ट, किला न0 25 की 0.046 हैक्ट कुल 0.5059 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 186/121 के प0न0 401/448 मु0न0 51 के किला न0 18 की 0.2112 हैक्ट, 17/2 की 0.0627 हैक्ट, किला न0 23 की 0.067 हैक्ट, 24 की 0.119 हैक्ट, किला न0 25 की 0.046 हैक्ट कुल 0.5059 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 196/121 के प0न0 401/448 मु0न0 51 के किला न0 25 की 0.015 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 काबिज है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के खाता सं० 38/38 की कुल 1.1260 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो कि शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादी के दादा रामप्रताप के नाम दर्ज थी उनकी फौतगदी के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। वाद भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी राजीनामा कर रखा है एवं मुताबिक राजीनामा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं० 186/121 के प०न० 401/448 मु०न० 51 के किला न० 19 की 0.2321 हैक्ट किला न० 18 की 0.0418 हैक्ट भूमि व किला न० 23 की 0.186 हैक्ट, किला न० 25 की 0.046 हैक्ट, किला न० 25 की 0.010 हैक्ट गै०मु० खाला कुल 0.5159 हैक्ट भूमि पर वादी काबिज है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं० 186/121 के प०न० 401/448 मु०न० 51 के किला न० 20 की 0.2530 हैक्ट, किला न० 19 की 0.0209 हैक्ट, किला न० 24 की 0.134 हैक्ट, किला न० 25 की 0.046 हैक्ट कुल 0.5059 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं० 186/121 के प०न० 401/448 मु०न० 51 के किला न० 18 की 0.2112 हैक्ट, 17/2 की 0.0627 हैक्ट, किला न० 23 की 0.067 हैक्ट, 24 की 0.119 हैक्ट, किला न० 25 की 0.046 हैक्ट

कुल 0.5059 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 196/121 के प0न0 401/448 मु0न0 51 के किला न0 25 की 0.015 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 काबिज है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 38/38 की कुल 1.1260 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 186/121 की कुल 1.5427 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 38/38 की कुल 1.1260 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 186/121 के प0न0 401/448 मु0न0 51 के किला न0 19 की 0.2321 हैक्ट किला न0 18 की 0.0418 हैक्ट भूमि व किला न0 23 की 0.186 हैक्ट, किला न0 25 की 0.046 हैक्ट, किला न0 25 की 0.010 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.5159 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 186/121 के प0न0 401/448 मु0न0 51 के किला न0 20 की 0.2530 हैक्ट, किला न0 19 की 0.0209 हैक्ट, किला न0 24 की 0.134 हैक्ट, किला न0 25 की 0.046 हैक्ट कुल 0.5059 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 186/121 के प0न0 401/448 मु0न0 51 के किला न0 18 की 0.2112 हैक्ट, 17/2 की 0.0627 हैक्ट, किला न0 23 की 0.067 हैक्ट, 24 की 0.119 हैक्ट, किला न0 25 की 0.046 हैक्ट कुल 0.5059 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा

अ
उपजुष्ट अधिकारी
नोहर

चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 186/121 के प0न0 401/448 मु0न0 51 के किला न0 25 की 0.015 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 38/38 की कुल 1.1260 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 1209/2024

अनवान : -

1. विनोद कुमार पुत्र धर्मपाल जाति खाती निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र रामप्रताप जाति खाती निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र धर्मपाल जाति खाती निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
3. प्रकाश पुत्र धर्मपाल जाति खाती निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1209 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 186/121 के प०न० 401/448 मु०न० 51 के किला न० 19 की 0.2321 हैक्ट किला न० 18 की 0.0418 हैक्ट भूमि व किला न० 23 की 0.186 हैक्ट, किला न० 25 की 0.046 हैक्ट, किला न० 25 की 0.010 हैक्ट गै०मु० खाला कुल 0.5159 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 186/121 के प०न० 401/448 मु०न० 51 के किला न० 20 की 0.2530 हैक्ट, किला न० 19 की 0.0209 हैक्ट, किला न० 24 की 0.134 हैक्ट, किला न० 25 की 0.046 हैक्ट कुल 0.5059 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 186/121 के प०न० 401/448 मु०न० 51 के किला न० 18 की 0.2112 हैक्ट, 17/2 की 0.0627 हैक्ट, किला न० 23 की 0.067 हैक्ट, 24 की 0.119 हैक्ट, किला न० 25 की 0.046 हैक्ट कुल 0.5059 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 186/121 के प०न० 401/448 मु०न० 51 के किला न० 25 की 0.015 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 38/38 की कुल 1.1260 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

OL
(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर